# APEDA द्वारा शराब निर्यात को प्रोत्साहन

**स्रोत: पी.आई.बी**

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) ने **'मेक इन इंडिया' पहल** के तहत अगले कुछ वर्षों में **निर्यात राजस्व में 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर** का लक्ष्य रखते हुए वैश्विक स्तर पर **भारतीय मादक और गैर-मादक पेय पदार्थों** को बढ़ावा देने की योजना बनाई है।

- पेय पदार्थों में वैश्विक उपस्थिति बढ़ाने के भारत के प्रयासों के तहत, राजस्थान में निर्मित एक उत्कृष्ट**व्हिस्की गोडावन सिंगल माल्ट व्हिस्की** को यूनाइटेड किंगडम में लॉन्च किया जाएगा।
- **भारत का शराब बाज़ार:** भारत वर्तमान में मादक पेय पदार्थों के निर्यात के मामले में विश्व में 40**वें स्थान** पर है । **भारत** विश्व में मादक पेय पदार्थों का **तीसरा सबसे बड़ा बाज़ार** है।
    - भारत ने वर्ष 2023-24 के दौरान **3,107.50 करोड़ रुपए** (USD 375.09 मिलियन) मूल्य के मादक उत्पादों का **निर्यात** किया। वर्ष 2023 में भारत का मादक पेय पदार्थों का आयात 1 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुँच गया।
    - प्रमुख निर्यात गंतव्य **संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, तंज़ानिया, अंगोला और घाना हैं।**
    - **महाराष्ट्र** मदिरा/वाइन उत्पादन के लिये एक **महत्त्वपूर्ण राज्य** के रूप में विकसित हुआ है।
        - भारत में **46 वाइनरी** हैं, जिनमें से **43 महाराष्ट्र** में स्थित हैं, जहाँ वाइन उत्पादन के लिये लगभग **1,500 एकड़ में अंगूर की उद्यान कृषि** की जाती है।
        - महाराष्ट्र ने शराब बनाने के व्यवसाय को लघु उद्योग घोषित कर दिया है और उत्पाद शुल्क में छूट भी दी है।
- APEDA की स्थापना **APEDA अधिनियम, 1985** के तहत की गई थी और **इसे मादक एवं गैर-मादक पेय पदार्थ** ,माँस व माँस उत्पाद, पुष्प उत्पादन आदि जैसे उत्पादों के **निर्यात संवर्धन तथा विकास** की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है।

**अधिक पढ़ें:** औद्योगिक अल्कोहल विनियमन

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/apeda-to-boost-alcohol-exports-under-make-in-india-initiative